न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–181/2020–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

1. बबला मुण्डा वो 2. बदरी मुण्डा – विक्रेता

अमृत हंस – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16.07.21	(see below)	

16.07.21

आदेश

आवेदक 1. बबला मुण्डा पिता **स्व0** शिशु मुण्डा वो 2. बदरी मुण्डा पिता स्व0 एतवा मुण्डा ग्राम–तिरला, पो0–अनिगड़ा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने अमृत हंस पिता स्व0 हिरान्जन हंस ग्राम–सुकरी सेरेग, पो0–मारंगहादा, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
तिरला(कुदाडीह)	78	01	1044	0.10

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0180455045 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 192 दिनांक 02.03.21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0 90 वर्ष 1963 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम जीरत नाम लगान पाने वाला ठाकुर महेन्द्र नाथ सहदेव हैं। पंजी II के अनुसार मांगा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का 19.62 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 4.10 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 25060.00(पच्चीस हजार साठ)रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.00 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. बबला मुण्डा पिता **स्व0** शिशु मुण्डा वो 2. बदरी मुण्डा पिता स्व0 एतवा मुण्डा को अमृत हंस पिता स्व0 हिरान्जन हंस के साथ ग्राम तिरला(कुदाडीह) के खाता सं0 01 खेसरा संख्या 1044 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 25060.00(पच्चीस हजार साठ)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी जमा करें।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.07.29 11:44:32 +05:30
Location: 10.93.43.4

लेखापित एवं संशोधित

16/07/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

16/07/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।